

**वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर में छूट प्राप्त करने के लिए एनपीएस में अंशदान 30 जून 2020 तक किए जा सकते हैं**

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर अधिनियम के अध्याय –VIA-B के तहत छूट प्राप्त करने के लिए एनपीएस में अंशदान करने की तिथि को बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया गया है। जो ग्राहक वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान अंशदान नहीं कर सके तथा जो अंशदान करने के इच्छुक हैं [www.onlinesbi.com](http://www.onlinesbi.com) >Payments/Transfers> NPS Contributions पर अंशदान कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक को क्लिक करें

- (क) [दिनांक 31 मार्च 2020 का अध्यादेश](#)
- (ख) [राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 31 मार्च 2020 को जारी प्रेस विज्ञप्ति](#)